

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 78/2015

1. भीखाराम पुत्र श्री हरदयाल सिंह नवीरा मुखराम (फौत)
 - 1/1. मनफूल सिंह पुत्र भीखाराम
 - 1/2. चन्द्रकला पुत्री भीखाराम
 - 1/3. निर्मला पत्नि सुन्दरलाल नवीरा भीखाराम
 - 1/4. किरण पुत्री सुन्दरलाल
 - 1/5. अरुण पुत्र सुन्दरलाल
2. ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह
3. लाडो देवी पत्नी श्री मदनलाल नवीरा हरदयाल सिंह
4. शान्तनु पुत्र श्री मदनलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. कमलेश पत्नी औमप्रकाश नवीरा कुरडाराम नवीरा गणेशा जाति अहीर नि सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
2. अनिल
3. प्रवीण पुत्रान औमप्रकाश नवीरा कुरडाराम नाबालिक जरिये माता जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
4. सुनील पुत्री औमप्रकाश पत्नी प्रदीप जाति अहीर नि. बुचौली तह. व जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
5. महीपाल पुत्र कुरडाराम
6. सुशीला पुत्री कुरडाराम पत्नी हरिश
7. प्रेम पुत्री कुरडाराम पत्नी मुकेश जाति अहीर निवासी मानोता तह. खेतड़ी जि. झुन्झुनू
8. रोशन पुत्र कुरडाराम जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
9. जगमाल
10. रामनिवास पुत्रान ताराचन्द नवीरा पन्ना जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू
11. कलावती पुत्री ताराचन्द पत्नी उमराव जाति अहीर नि. कालिया का नागल तह. नागल चौधरी जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
12. घीसाराम पुत्र वुनाराम जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज)
13. मिश्री पुत्री चुनाराम पत्नी उमराव जाति अहीर नि. गुवाना तह. बहरोड़ जि. अलवर (राज.)
14. हेतराम पुत्र रिछपाल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)



15. रामनिवास पुत्र होशियार नवीरा रिछपाल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज. हाल आबाद नई धान मण्डी बलॉक न. ए दुकान न. 3 पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जि. हनुमानगढ (राज.)
16. सत्यवीर पुत्र होशियार नवीरा रिछपाल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
17. दलीप पुत्र होशियार नवीरा रिछपाल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू
18. भुरली पत्नी प्रभात नवीरा रिछपाल
19. चमेली पत्नी प्रभात नवीरा रिछपाल
20. राजवीर पुत्र प्रभात जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
21. शैतान पुत्र श्योनारायण नि. नई धान मण्डी बलॉक न. ए दुकान न. 3 पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जि. हनुमानगढ (राज.)
22. धर्मवीर
23. बलबीर
24. जगत पुत्रान सांवल नवीरा अमरा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
25. कमली पुत्री सांवल पत्नी हुक्मीचन्द जाति अहीर नि. झांझा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
26. भाती पुत्री सांवल पत्नी रोहताश जाति अहीर नि. झांझा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
27. शेरसिंह
28. लीलाधर
29. हिम्मतसिंह पुत्रान रावत नवीरा अमरा जाति अहीर नि. शिवसिंहपुरा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
30. डेडराज उर्फ डेडा
31. फूला पुत्रान अमरा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
32. संतरा पत्नी रामुवतार
33. रामप्रकाश दत्तक पुत्र रामुवतार नवीरा अमरा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
34. प्रभाती दत्तक पुत्र गीदा नवीरा रामचन्द्र
35. सुभाष पुत्र रामसिंह नवीरा बनारसा उर्फ भक्सा
36. भागपति पत्नी लालचन्द पुत्र रामसिंह नवीरा बनारसा उर्फ भक्सा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
37. आयुष पुत्र लालचन्द नाबालिक जरिये माता भागपति
38. राजबीर पुत्र मुलचन्द
39. रिशिपाल पुत्रान मुलचन्द नवीरा बनारसा उर्फ भक्सा जाति अहीर नि. हिरवा तह. चिड़ावा जि. झुन्झुनू (राज.)
40. नन्दलाल
41. प्रभात पुत्रान मंगला जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
42. चन्द्रावली पत्नी इन्द्राज
43. रंगलाल
44. कबुल पुत्रान इन्द्राज नवीरा मंगला जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
45. संजय दत्तक पुत्र ठाकरसी जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)




उपसचिव अधिकारी झुन्झुनू
जिला झुन्झुनू (राज.)

46. पुर्णमल
47. रंगलाल पुत्र श्योकरण नवीरा जोखी
48. पतासी पत्नी तुलसा
49. रामनिवास
50. मुलचन्द
51. सत्यपाल
52. मुख्तयार पुत्रान तुलसा नवीरा जोखी जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
53. संतलाल
54. पप्पु
55. धोलिया
56. भोलाराम पुत्रान बिहारी जाति अहीर नि. सहड़ हाल जासास तह. व जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
57. रामकुवार पुत्र रूघनाथ जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
58. शान्ति पत्नी औमप्रकाश नवीरा पोकरी जाति अहीर नि. शिवसिंहपुरा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
59. इन्द्र पुत्री औमप्रकाश पत्नी कण्ठ जाति अहीर नि. बाणीया की ढाणी तह. नागल चौधरी जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
60. अमीलाल
61. महावीर
62. माडुराम
63. लालचन्द पुत्रान जैना नवीरा हरसहाय जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
64. कहनीराम
65. सम्पत
66. रोहिताश पुत्रान रिछपाल नवीरा चुना जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
67. मोतीलाल पुत्र सावंल नवीरा तुलछा
68. सुनील पुत्र रतीराम नवीरा सावंल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
69. सरोज पुत्री रतिराम पत्नी मुख्तयार जाति अहीर नि. काउ की ढाणी तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
70. महेश दतक पुत्र भगुता नवीरा पन्ना जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
71. प्रकाश
72. अभयसिंह पुत्रान गुलाब जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
73. बसंतलाल
74. बाबुलाल
75. सुन्दरलाल
76. शीशराम पुत्रान प्रभात नवीरा रेखा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
77. गाड़सिंह
78. सम्पतराम उर्फ सत्यनारायण पुत्रान रेखा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
79. हुक्मकौर पत्नी जगदीश
80. गजराज पुत्र जगदीश नवीरा रेखा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
81. शान्ति पत्नी रामेश्वर नवीरा रामनारायण


 उपस्थित अधिकारी बुझना
 जिला झुन्झुनू (राज.)

82. कमलेश पुत्री रामेश्वर पत्नी देवदत्त जाति अहीर नि. ढाणी बाढोड़ा तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
83. बिमला पुत्री रामेश्वर पत्नी कवंर सिंह जाति अहीर नि. भूषण खुर्द तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
84. धनकौरी पत्नी कवंर सिंह नि. सहड़
85. मुकेश पुत्री कवंर सिंह पत्नी विरेन्द्र जाति अहीर नि. ढाणी बाढोड़ा तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
86. शीला पुत्री कवंर सिंह पत्नी कवंर सिंह जाति अहीर नि. ढाणी बाढोड़ा तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
87. राजेश पुत्री कवंर सिंह पत्नी देवेन्द्र जाति अहीर नि. झूक तह. व जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
88. बाला पत्नी धन्ना नवीरा रामनारायण जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
89. सुरतसिंह
90. कृष्ण कुमार
91. शक्तिसिंह पुत्रान धन्ना रामनारायण जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
92. प्रताप पुत्र उमदा (अमरा) नवीरा दुगां जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
93. रूपचन्द पुत्र नाहरसिंह नवीरा सहीराम नवीरा दुगां जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
94. प्रेम पुत्र जयदयाल नवीरा भकतावर जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
95. सुगना पुत्री जयदयाल पत्नी अतरसिंह जाति अहीर नि. खरकड़ा तह. बहरोड़ जि. अलवर (राज.)
96. सन्तरा पुत्री जयदयाल पत्नी रामकरण जाति अहीर नि. नौरंगपुरा तह. नारनौल जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
97. नाथी पत्नी धर्मचन्द नवीरा सेडू जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
98. बाला पुत्री धर्मचन्द पत्नी प्रकाश
99. रामकला पुत्री धर्मचन्द पत्नी लीलाराम जाति अहीर नि. खान्दवा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
100. कालूराम उर्फ पप्पु
101. सुरेश पुत्रान उमराव जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
102. रतिराम पुत्र भूरा
103. सरबती पुत्री भूरा पत्नी सुभाषचन्द जाति अहीर नि. शिशोठ तह. व जि. महेन्द्रगढ (हरि.)
104. लाली पत्नी बाबुलाल
105. माडुराम पुत्र बाबुलाल नवीरा भूरा
106. राजकुमार दत्तक पुत्र शुभराम नवीरा भूरा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
107. भवरी देवी पत्नी जुहारा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
108. शीशराम
109. सत्यवीर पुत्रान जुहारा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
110. श्योबाई पत्नी सम्पत
111. जगदीश
112. बलबीर पुत्रान सम्पत नवीरा मूला (फुला) जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)



उपस्थित अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

113. रामस्वरूप पुत्र मुला (फुला) जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)
114. भीखाराम दत्तक पुत्र इद्राज जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
115. हरपालसिंह (फौत)
- 115/1. छोटा देवी पत्नी स्व. हरपाल जाति अहीर निवासी सहड़
- 115/2. राकेश पुत्र श्री स्व. हरपाल जाति अहीर निवासी सहड़
- 115/3. रेखा पुत्री श्री हरपाल पत्नी श्री ललीत जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
116. तोताराम
117. होशियारसिंह
118. दलीप पुत्रान हरदेवा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
119. चमेली पुत्री हरदेवा पत्नी महेन्द्र सिंह नि. छाजड़ा तह. नागल चौधरी जि. महेन्द्रगढ हरि0
120. शारदा पुत्री हरदेवा पत्नी लालाराम नि. छाजड़ा तह. नागल चौधरी जि. महेन्द्रगढ हरि0
121. सुनीता देवी पत्नी जगजीतपाल जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
122. प्रेमदेवी पत्नी सत्यवीर सिंह जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
123. बंशीलाल
124. मदनलाल
125. गुरुदयाल पुत्रान बलवंत सिंह उर्फ मालेराम जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
126. संतोष पत्नी बलबीर नवीरा हेतरामं
127. वीरपाल
128. राजू पुत्रान बलबीर
129. गोरू
130. जगरूप पुत्रान हेतराम जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
131. मातादीन पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
132. सुरेश
133. मनोहर
134. कालुराम
135. बाबुलाल पुत्रान सुलतान जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
136. कृष्णा देवी पत्नी ताराचन्द जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
137. संजय
138. साहिल पुत्रान ताराचन्द जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
139. विजयसिंह
140. भोमसिंह पुत्रान छोटुराम जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
141. शेरसिंह
142. रंगलाल पुत्रान प्रसादा जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
143. अमरसिंह
144. बुधराम
145. अभयसिंह पुत्रान प्रभात जाति अहीर नि. संग्रामपुरा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
146. सुरेन्द्र सिंह
147. सत्यपाल पुत्रान हनुमान प्रसाद जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज0
148. उमरावली पत्नी श्री हरिसिंह नवीरा हरदयाल सिंह.

उपरोक्त अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

149. हंसरूप
150. सुभाष
151. रोशन पुत्रान श्री हरिसिंह समस्त जाति अहीर नि. सहड़ तह. बुहाना जि. झुन्डुनू (राज.)
152. लैण्ड होलडर राज.सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना
153. SBBJ Bank शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक

.....प्रतिवादीगण

दावा - घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरुस्ति।:-निर्णय:-

दिनांक :- 04-01-2022

उपस्थिति -

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता - वादीगण की ओर से ।
2. श्री रोहित पोषववाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 114 लगायत 146 की ओर से एवं प्रतिवादी सं. 10,22,40,43,44,46,51,52,57, 60,78,92 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(1). वादीगण की ओर से वादपत्र निम्नानुसार रहा है कि-

1. वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरुस्ति संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि वाके ग्राम सहड़ पुरानी तहसील सिंघाना नवगठित तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख.न. 10, 11, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 92, 96, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 180, 312, 759/279, 764/279 किता 37 रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार वादीगण एवं प्रति सं. 1 लगायत 113 के हकपूर्वाधिकारी थे।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 में वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रति. सं. 149 लगायत 152 के हकपूर्वाधिकारी हरदयाल पुत्र मुखराम का 3/20 हिस्सा था। गणेश, पन्ना, चुना पुत्रान मुकन्दा का 1/15 हिस्सा था गणेश के एक पुत्र कुरडा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके वारीसन प्रति. सं.1 लगायत 8 हैं तथा पन्ना की मृत्यु हो चुकी है उसका वारीस ताराचन्द था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसन प्रति. 9 लगायत 11 हैं तथा चुनाराम की मृत्यु हो चुकी है प्रति. 12 व 13 उसके वारीस हैं। रिछपाल, श्योनारायण पुत्रान महाराम का 1/15 हिस्सा था रिछपाल के वारीसान प्रति. 14 लगायत 20 हैं तथा श्योनारायण के वारीस प्रति. 21 हैं। अमरा पुत्र लाला का हिस्सा 1/15 था जिसके वारीसान प्रति. 22 लगायत 33



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)

हैं। गीदा पुत्र रामचन्द्र का हिस्सा 17/360 था जिसका वारीस प्रति. 34 हैं। बक्सा पुत्र खुबा जिसको बाद में बनारसा दर्ज किया गया है उसका हिस्सा 1/40 था जिसके वारीसान प्रति. 35 लगायत 39 हैं। श्योनारायण, मंगला पुत्रान हेमा का हिस्सा 1/20 था श्योनारायण अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया था मंगला का वारीसान प्रति. 40 लगायत 44 हैं। ठाकरिया पुत्र रामनारायण का हिस्सा 1/20 था जिसका वारीस प्रति. 45 हैं। जोखी पुत्र हरमुख का हिस्सा 1/30 था जिसके वारीसान प्रति. 46 लगायत 52 हैं। रूघा पुत्र जोरा का हिस्सा 1/30 था जिसके वारीसान प्रति. 53 लगायत 57 हैं। पोकर, दीना, जैना पुत्रान हरसाय का हिस्सा 1/30 था जिसके वारीसान प्रति. 58 लगायत 63 हैं। चुना पुत्र देवा का हिस्सा 1/15 था जिसके वारीसान प्रति. 64 लगायत 66 हैं। तुला (तुलछा) पुत्र टेका का हिस्सा 1/90 था जिसके वारीसान प्रति. 67 व 69 हैं। पन्ना, रेखा पुत्रान नाथा का हिस्सा 1/15 तथा रामानन्द, मेहरचन्द पुत्रान भाना का 1/30 हिस्सा था रामानन्द व मेहरचन्द नाऔलाद अविवाहित फौत हो गये उनका हिस्सा पन्ना व रेखा पुत्रान नाथा को मिल गया इस प्रकार पन्ना व रेखा का 1/15 के स्थान पर 1/10 हिस्सा हो गया। पन्ना का वारीस प्रति. 70 हैं जिसका इस भूमि में 1/20 हिस्सा हैं। तथा रेखा के वारीसान प्रति. 71 लगायत 80 हैं जिनका भी 1/20 हिस्सा हैं। रामनारायण पुत्र गोपाल का हिस्सा 1/30 था जिसके वारीसान प्रति. 81 लगायत 91 हैं। सहीराम, उमदा पुत्रान डुगा का हिस्सा 2/45 था जिसके वारीसान प्रति. 92 व 93 हैं। जयदयाल पुत्र बख्तावर का हिस्सा 1/45 था जिसका वारीस प्रति. 94 लगायत 96 हैं। सेडू पुत्र हीरा का हिस्सा 1/30 था जिसके वारीसान प्रति. 97 लगायत 99 हैं। भूरा, सुलतान, उमराव, जुहारा पुत्रान नन्दराम का 2/45 हिस्सा था जिनमें सुलतान नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया था बाकी के वारीसान प्रति. 100 लगायत 109 हैं। सुखा, मुलचन्द पुत्रान दोदराम का हिस्सा 1/45 था जिसमें सुखा नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया उसका हिस्सा उसके भाई मूलचन्द को मिला जिसके वारीसान प्रति. 110 लगायत 113 हैं।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के खण्ड न. 1 में किया गया है उसके हाल बन्दोबस्त ने नये ख. न. 11, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 76, 80, 81, 82, 96, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 243, 360, 614, 615 कुल ख.न. 39 रकबा 9.55 है। एवं यह कि सम्वत 2012 की जमाबन्दी में भी यही स्थित रही लेकिन उसके पश्चात इस भूमि में से गत खसरा न. 764/279 को जिसका नया ख.न. 277 रकबा 3.88 हैं बना जिसको इस खातेदारी की भूमि से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय अथवा डिक्री के बन्दोबस्त कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों ने इस खातेदारी की भूमि से हटा दिया गया। उसके बाद हाल में ख. न. 277/1 रकबा 3.62 हैं जिसके खातेदार प्रति. सं. 114 लगायत 146 दर्ज हैं उनका इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं है यह ख. न. बन्दोबस्त विभाग की भूल व



उपखण्ड अधिकारी कुम्भा
जिला कुम्भा (राज.)

गलती से उनके खाते में दर्ज हो गया है। अर्थात् सम्पूर्ण ख.न. 277 प्रतिवादी संख्या 114 लगायत 146 के नाम दर्ज कर दी गई। जिसमें से 277/2 रकबा 0.26 है 0 भूमि निर्णय से अलग हो गई है। ख.न. 277/1 वादीगण एवं प्रति.संख्या 1 लगायत 113 व प्रति. संख्या 149 लगायत 152 की है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि ख.न. 277/1 रकबा 3.62 जिसका वर्णन वाद पत्र के खण्ड न. 3 में किया गया है इसमें वादीगण सं. 1 का 3/80 हिस्सा है, वादीगण सं. 2 का 3/80 हिस्सा है, वादीगण सं. 3 व 4 का 3/80 हिस्सा है। तथा प्रति. सं. 1 लगायत 8 का 1/45 हिस्सा है, प्रति. सं. 9 लगायत 11 का 1/45 हिस्सा है, प्रति. सं. 12 व 13 का 1/45 हिस्सा है, प्रति. सं. 14 लगायत 20 का 1/30 हिस्सा है, प्रति. सं. 21 का 1/30 हिस्सा है, प्रति. सं. 22 लगायत 26 का 1/75 हिस्सा है, प्रति. सं. 27 लगायत 29 का 1/75 हिस्सा है, प्रति. सं. 30 का 1/75 हिस्सा है, प्रति. सं. 31 का 1/75 हिस्सा है, प्रति. सं. 32 व 33 का 1/75 हिस्सा है, प्रति. सं. 34 का 17/360 हिस्सा है, प्रति. सं. 35 का 1/160 हिस्सा है, प्रति. सं. 36 व 37 का 1/160 हिस्सा है, प्रति. सं. 38 व 39 का 1/80 हिस्सा है, प्रति. सं. 40 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 41 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 42 लगायत 44 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 45 का 1/20 हिस्सा है, प्रति. सं. 46 व 47 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 48 लगायत 52 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 53 लगायत 56 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 57 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 58 व 59 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 60 लगायत 63 का 1/60 हिस्सा है, प्रति. सं. 64 लगायत 66 का 1/15 हिस्सा है, प्रति. सं. 67 का 1/180 हिस्सा है प्रति. सं. 68 व 69 का 1/180 हिस्सा है, प्रति. सं. 70 का 1/20 हिस्सा है प्रति. सं. 71 लगायत 80 का 1/20 हिस्सा है, प्रति. सं. 81 लगायत 91 का 1/30 हिस्सा है प्रति. सं. 92 का 2/90 हिस्सा है, प्रति. सं. 93 का 2/90 हिस्सा है प्रति. सं. 94 लगायत 96 का 1/45 हिस्सा है, प्रति. सं. 97 लगायत 99 का 1/30 हिस्सा है प्रति. सं. 100 व 101 का 2/135 हिस्सा है, प्रति. सं. 102 लगायत 106 का 2/135 हिस्सा है प्रति. सं. 107 लगायत 109 का 2/135 हिस्सा है, प्रति. सं. 110 लगायत 112 का 1/90 हिस्सा है प्रति. सं. 113 का 1/90 हिस्सा है तथा प्रति. सं. 149 लगायत 152 का 3/80 हिस्सा है।

5. यह कि वादीगण के खाता की भूमि में प्रति. संख्या 114 लगायत 146 के नाम रहने से वादीगण को काफी परेशानी है। जिससे उन्हें अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह भूमि उनकी कभी भी नहीं थी केवल कागजात में ही उनका नाम गलती से दर्ज हो गया है मौके पर वादीगण एवं प्रति. सं. 1 लगायत 113 व प्रति. सं 149 लगायत 152 काबिज है जिन्होंने भी परस्पर सुविधा अनुसार विभाजन कर रखा है।



म
जिला अधिकारी जहानू
जिला जहानू (राज.)

6. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि के ख.न. 277/1 में प्रति. संख्या 114 लगायत 146 का नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज रहने से एवं वादीगण को अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करने के लिए ऋण आदि एवं सीमाएं कायम रखने तथा सम्परिवर्तन नहीं करवा पाने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि :-

- (क). ग्राम सहड़ स्थित भूमि ख.न. 277/1 रकबा 3.62 में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 2 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 3 व 4 का 3/80. हिस्सा, तथा प्रति. सं. 1 लगायत 8 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 9 लगायत 11 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 12 व 13 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 14 लगायत 20 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 21 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 22 लगायत 26 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 27 लगायत 29 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 30 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 31 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 32 व 33 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 34 का 17/360 हिस्सा, प्रति. सं. 35 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 36 व 37 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 38 व 39 का 1/80 हिस्सा, प्रति. सं. 40 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 41 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 42 लगायत 44 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 45 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 46 व 47 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 48 लगायत 52 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 53 लगायत 56 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 57 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 58 व 59 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 60 लगायत 63 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 64 लगायत 66 का 1/15 हिस्सा, प्रति. सं. 67 का 1/180 हिस्सा प्रति. सं. 68 व 69 का 1/180 हिस्सा, प्रति. सं. 70 का 1/20 हिस्सा प्रति. सं. 71 लगायत 80 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 81 लगायत 91 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 92 का 2/90 हिस्सा, प्रति. सं. 93 का 2/90 हिस्सा प्रति. सं. 94 लगायत 96 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 97 लगायत 99 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 100 व 101 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 102 लगायत 106 का 2/135 हिस्सा प्रति. सं. 107 लगायत 109 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 110 लगायत 112 का 1/90 हिस्सा, प्रति. सं. 113 का 1/90 हिस्सा, प्रति. सं. 149 लगायत 152 का 3/80 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रति.सं. 1 लगायत 113 व प्रति.सं. 149 लगायत 152 को ख. न. 277/1 रकबा 3.62 का खातेदार घोषित किया जावे।

- (2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 114 लगायत 146 की ओर से एडवोकेट रोहित पोषवाल ने वकालतनामा मय जबाब दावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी दुहाना
जिला दुहाना (राज.)



- (3). प्रतिवादी सं. 114 लगायत 146 की ओर से जवाब दावा पेश किया कि—
1. यह कि वाद पत्र की खण्ड सं. 1 में वादीगण ने भूमि के गत रिकार्ड का वर्णन किया है तथा भूमि गत खसरा नंबर 279 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड थी तथा उक्त भूमि ग्राम सहड़ के तत्कालीन सहकृषकों के शामलात में थी। शामलात में काश्त करते थे उक्तानुसार उक्त भूमि का खाता शामलात में जिस पर खातेदार काबिज काश्त थे। उक्त भूमि के कालान्तर में भिन्न-भिन्न नये खसरा दौरान सैटलमेंट द्वारा बनाये गये है।
 2. यह कि वाद पत्र की खण्ड सं. 2 जिस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है वाद पत्र के इस खण्ड में वादीगण ने अपने वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में दर्ज भूमि की काल्पनिक हिस्सेदारी दर्ज की है। उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि से कभी भी वादीगण का कोई लेना देना नहीं रहा है। उक्त भूमि सदैव से ही प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 के कब्जे काश्त में रही है।
 3. यह कि वाद पत्र की खण्ड सं. 3 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है उक्तानुसार गत खसरा नं. 279 से तत्कालीन भू-प्रबन्धक विभाग ने नये खसरा नम्बर 761/279, 762/279, 763/279, 764/279, 765/279 व 766/279 बनाये थे तथा तत्पश्चात उक्त खसरा सं. 765/279 का नया खसरा सं. 258 रकबा 0.62 है. बना है व हाल खसरा सं. 277 रकबा 3.88 है. गत खसरा सं. 279, 763/279 से बने है। उक्तानुसार हाल खसरा नंबर 258 रकबा 0.62 है. गत खसरा नंबर 765/279 से बना है जिसके साथ मिलान क्षेत्रफल जिसके साथ मिलान क्षेत्रफल है उसके अनुसार गत खसरा नंबर 279 का विवरण नहीं दिया गया है। जबकि हाल खसरा नंबर 277 रकबा 3.88 है. भूमि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नंबर 279, 763/279 से बनना बताया गया है। जबकि खसरा नंबर 277 गत खसरा नंबर 764/279, 763/279 का आधा भाग लेकर बना है शेष रकबा का बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 278 गत खसरा नंबर 263/279 से बनाये गये है तथा गत खसरा नंबर 764/279 की खातेदारी भोमसिंह वगैरहा के नाम थी।
 4. बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व रिकार्ड में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा मिलान गलत तैयार किया गया है। उक्तानुसार हाल खसरा नंबर 279 गत खसरा नंबर 763/279 व 764/279 से बना है हाल खसरा नंबर 277 का विभाजन भी बन्दोबस्त के समय हुआ है जिसके बाद खसरा नंबर 277/1 व 277/2 बनाये गये है वादीगण ने केवल खसरा नंबर 277/1 लिया गया है हाल खसरा नंबर 277/2 का विवरण नहीं दिया गया है। गत खसरा नंबर 277 एक थोक का सम्पूर्ण है तथा गत खसरा नंबर 766/279, 765/279, 764/279, 763/279, 762/279 व 761/279 की भूमि से वादीगण का लेना देना नहीं है तथा प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 भोमसिंह के थोक की भूमि से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 278 से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है।



उपखण्ड अधिकारी बुखार
जिला बुधुन (राज.)

5. यह कि वाद पत्र की सं. 4 का खण्ड गलत है अस्वीकार है उक्तानुसार जैसाकि जवाब दावा की खण्ड सं. 2 में वर्णन किया जा चुका है इस भूमि से वादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। इसलिए उनके द्वारा हिस्सेदारी दर्ज करना बिना किसी आधार के होने से अस्वीकार है।
6. यह कि दावा की खण्ड सं. 5 अस्वीकार है। उक्तानुसार जवाब दावा की खण्ड सं. 5 में दिये गये वर्णन के अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 की है जिससे वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वादीगण को कोई हकतलफ़ी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण सं. 144 से 146 की खातेदारी की भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें भारी हकतलफ़ है।
7. यह कि दावा की खण्ड सं. 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि की खातेदारी कदीम से प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 ही अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण को कोई वाद कारण इस वाद की दायरी के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वाद वादीगण अकारण होने से अन्तर्गत आदेश 7 निमय 11 जा. दी. खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त उत्तर-

8. यह कि प्रश्नगत भूमि से वादीगण या उनके हिस्सेदारों का कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा है। इस भूमि पर सदैव से प्रतिवादीगण सं. 114 से 146 अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसलिए वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
9. यह कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण या उनके सह हिस्सेदारान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कब्जा प्राप्त करने का दावा भी वादीगण ने ही किया है। इसलिए कब्जे के अभाव में वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।
10. यह कि अन्य सह खातेदारों ने इस भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय दिगार कृतागण को कर दिया है जिसको वादीगण ने चुनौती नहीं दी है। इसलिए वादीगण अपने आचरण से पाबन्द है।

अन्त में जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण खारित किये जाने की कृपा करें।

- (4). उभयपक्षों द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक विरचित किये गये-

1. आया ग्राम सहड़ स्थित भूमि गत ख.न. 764/279 हाल ख.न. 277 के वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 113 एवं 149 लगायत 152 अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ?

.....भार वादी

उपखण्ड अधिकारी बुढाना
जिला बुढाना (राज.)



2. आया गत ख.न. 764/279 की खातेदारी भोमसिंह वगे. की खातेदारी की थी एवं वादीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं है तथा सह खातेदारों ने दिगर क्रेतागण को भूमि विक्रय की है जिसको वादीगण ने चैलेन्ज नहीं किया है ?

.....भार प्रतिवादी

3. आया इसी भूमि के बाबत माननीय न्यायालय से वाद डिक्री हुआ है जिसे वादीगण ने चैलेन्ज नहीं किया है जिससे वादीगण पाबन्द है ?

.....भार प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

(5). वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-1 ईश्वरसिंह, पी.डब्ल्यू-2 मनफूलसिंह, पी.डब्ल्यू-3 संजय के शपथपत्र पेश किया गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 लगायत 7 जमाबन्दी, प्रदर्श-8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श - 9 प्रतिलिपि आवेदन नकल, प्रदर्श -10 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श- 11 लगायत 36 जमाबन्दी, प्रदर्श - 37 ए नकल नक्शा ट्रेस सम्बत 1978-79, प्रदर्श - 38 ए नकल नक्शा ट्रेस सम्बत 1937-38, प्रदर्श - 39 जमाबन्दी, प्रदर्श- 40 नकल वाद पत्र बउनवानी नन्दलाल बनाम कमलेश वगे., प्रदर्श- 41 नकल शपथपत्र, प्रदर्श - 41 ए मौका रिपोर्ट पेश किये गये ।

(7). बहस सुनी गई।

(8). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई ना ही कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश की गई बहस सुनी गई मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श - 1 के अनुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हरदयान वल्द मुखा इस भूमि का खतेदार था तथा प्रदर्श -4 व 5 व 6 के अनुसार भी वह खातेदार था उसके बाद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण एवं इनके हकपूर्वाधिकारियों का नाम इस भूमि की खातेदारी से समाप्त कर दिया गया। प्रदर्श - 9 के अनुसार गत खसरा नम्बर 764/279 का बन्दोबस्त ने नये खसरा नम्बर दर्ज नहीं किये है तथा प्रदर्श -8 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी इस भूमि के नये ख.न. दर्ज नहीं है। जबकि नक्शा प्रदर्श- 37 व 38 के अनुसार गत ख.नं. 764/279 से हाल ख.न. 277 कायम हुये है हाल ख.न. 277 रकबा 3.88 है. जिसके बाद में ख.न. 277/1 रकबा 3.62 है कायम किये गये है उसमें भी वादीगण का नाम दर्ज नहीं है तथा जिस निर्णय से ख.न. 277/2 रकबा 0.26 है. कायम किये गये है उससे भी वादीगण का नाम इस भूमि के खातेदारी में दर्ज नहीं है। वर्तमान में इस भूमि के करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादीगण ने अपना वाद साबित किया है तथा मौका रिपोर्ट प्रदर्श- 41 ए के अनुसार भी वादीगण का दावा साबित है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।



उपलब्ध अधिकारी पुष्पा
जिला कुश्नू (राज.)

- आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 277 रकबा 3.62 में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 2 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 3 व 4 का 3/80 हिस्सा, तथा प्रति. सं. 1 लगायत 8 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 9 लगायत 11 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 12 व 13 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 14 लगायत 20 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 21 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 22 लगायत 26 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 27 लगायत 29 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 30 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 31 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 32 व 33 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 34 का 17/360 हिस्सा, प्रति. सं. 35 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 36 व 37 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 38 व 39 का 1/80 हिस्सा, प्रति. सं. 40 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 41 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 42 लगायत 44 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 45 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 46 व 47 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 48 लगायत 52 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 53 लगायत 56 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 57 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 58 व 59 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 60 लगायत 63 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 64 लगायत 66 का 1/15 हिस्सा, प्रति. सं. 67 का 1/180 हिस्सा प्रति. सं. 68 व 69 का 1/180 हिस्सा, प्रति. सं. 70 का 1/20 हिस्सा प्रति. सं. 71 लगायत 80 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 81 लगायत 91 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 92 का 2/90 हिस्सा, प्रति. सं. 93 का 2/90 हिस्सा प्रति. सं. 94 लगायत 96 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 97 लगायत 99 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 100 व 101 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 102 लगायत 106 का 2/135 हिस्सा प्रति. सं. 107 लगायत 109 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 110 लगायत 112 का 1/90 हिस्सा प्रति. सं. 113 का 1/90 हिस्सा, प्रति. सं. 149 लगायत 152 का 3/80 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रति.सं. 1 लगायत 113 व प्रति.सं. 149 लगायत 152 को ख. न. 277 रकबा 3.62 का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।



(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर (बुहाना)

निर्णय आज दिनांक 04-01-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर (बुहाना)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 78/2015

भीखाराम आदि बनाम कमलेश आदि

दावा - घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्त

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री रोहित पोषवाल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वार्के ग्राम सहड़ तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 277 रकबा 3.62 में वादी सं. 1 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 2 का 3/80 हिस्सा, वादी सं. 3 व 4 का 3/80 हिस्सा तथा प्रति. सं. 1 लगायत 8 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 9 लगायत 11 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 12 व 13 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 14 लगायत 20 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 21 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 22 लगायत 26 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 27 लगायत 29 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 30 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 31 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 32 व 33 का 1/75 हिस्सा, प्रति. सं. 34 का 17/360 हिस्सा, प्रति. सं. 35 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 36 व 37 का 1/160 हिस्सा, प्रति. सं. 38 व 39 का 1/80 हिस्सा, प्रति. सं. 40 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 41 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 42 लगायत 44 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 45 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 46 व 47 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 48 लगायत 52 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 53 लगायत 56 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 57 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 58 व 59 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 60 लगायत 63 का 1/60 हिस्सा, प्रति. सं. 64 लगायत 66 का 1/15 हिस्सा, प्रति. सं. 67 का 1/180 हिस्सा प्रति. सं. 68 व 69 का 1/180 हिस्सा, प्रति. सं. 70 का 1/20 हिस्सा प्रति. सं. 71 लगायत 80 का 1/20 हिस्सा, प्रति. सं. 81 लगायत 91 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 92 का 2/90 हिस्सा, प्रति. सं. 93 का 2/90 हिस्सा प्रति. सं. 94 लगायत 96 का 1/45 हिस्सा, प्रति. सं. 97 लगायत 99 का 1/30 हिस्सा प्रति. सं. 100 व 101 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 102 लगायत 106 का 2/135 हिस्सा प्रति. सं. 107 लगायत 109 का 2/135 हिस्सा, प्रति. सं. 110 लगायत 112 का 1/90 हिस्सा, प्रति. सं. 113 का 1/90 हिस्सा, प्रति. सं. 149 लगायत 152 का 3/80 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रति.सं. 1 लगायत 113 व प्रति.सं. 149 लगायत 152 को ख. न. 277 रकबा 3.62 का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04-01-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

